

प्रेषक,

रामवृक्ष प्रसाद,  
संयुक्त सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. आवास आयुक्त,  
उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद,  
लखनऊ।
2. उपाध्यक्ष,  
समस्त विकास प्राधिकरण,  
उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग-1

लखनऊ: दिनांक-18 नवम्बर, 1999

विषय : उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद एवं विकास प्राधिकरणों में मा० विधायकों को प्राथमिकता के आधार पर भवन आवंटित करने में सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा० सदस्य, विधान सभा एवं विधान परिषद को, जिन्हें पूर्व में कोई सम्पत्ति आवंटित न की गई हो, को लखनऊ, गाजियाबाद अथवा अपने निवास के समीपस्थ/समीपवर्ती विकास प्राधिकरण अथवा उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद की आवासीय योजनाओं में उनके आवेदन पर उपलब्धता के आधार पर प्राथमिकता पर भवन/भूखण्ड आवंटित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

रामवृक्ष प्रसाद  
संयुक्त सचिव